इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



## मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 88]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 18 मार्च 2025-फालान 27, शक 1946

## वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2025

क्र. CT-8-0001-2025-Sec-1-पांच (CT)(11) .—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2024 (2025 का 2) की धारा 1 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए :—

- (क) 27 सितम्बर, 2024, को ऐसी तारीख के रूप में जिसको उक्त अधिनियम की धारा 6, धारा 34 और धारा 36 प्रवृत्त मानी जाएगी, नियत करती है; और
- (ख) 1 नवम्बर, 2024, को ऐसी तारीख के रूप में जिसको उक्त अधिनियम की धारा 2 से धारा 5, धारा 7 से धारा 29, धारा 30 से धारा 33, और धारा 35 प्रवृत्त मानी जाएगी, नियत करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वंदना शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2025

क्र. CT-8-0001-2025-Sec-1-पांच (CT) .—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. CT-8-0001-2025-Sec-1-पांच (CT)(11), दिनांक 18 मार्च 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वंदना शर्मा, उपसचिव

## Bhopal, the 18th March 2025

CT-8-0001-2025-Sec-1-V (CT) (11).—In exercise of the powers conferred by cluase (b) of sub-section (2) of Section 1 of the Madhya Pradesh Goods and Service Tax (Third Amendment) Act, 2024 (2 of 2025), the State Government hereby appoints:—

- (a) the 27th day of September, 2024 as the date on which the provisions of Sections 6, 34 and 36 of the said Act shall be deemed to have come into force; and
- (b) the 1st day of November, 2024 as the date on which the provisions of Sections 2 to 5, 7 to 29, 30 to 33 and 35 of the said Act shall be deemed to have come into force.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, VANDANA SHARMA, Dy. Secy.